बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..... दिनांक,.....

निबंधित
~~स्पीड पोस्ट~~

5(स0) अपील (ए0 एस0 इन्टरप्राईजेज) 20/2014

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

सेवा में,

सर्वश्री ए0एस0 इन्टरप्राईजेज,
प्रो0 – श्री अगेह भारती, एवं अन्य
वृहत औद्योगिक प्रांगण, भागलपुर।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 20/2014 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री ए0एस0 इन्टरप्राईजेज, भागलपुर बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5006 दिनांक 02/11/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
31/X/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 20/2014

सर्वश्री ए0 एस0 इंटरप्राइजेज, भागलपुर

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स ए0 एस0 इंटरप्राईजेज, भागलपुर द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 374/डी0 दिनांक 10.04.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2008 में वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में पत्रांक 304/डी0 दिनांक 12.02.08 द्वारा डिस्पोजेबल प्लेट एवं ग्लास के उद्योग स्थापना हेतु 5000 वर्गफीट भूमि आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि आवंटित भूमि की चाहरदिवारी कर टैफे ट्रेक्टर का सर्विसिग कार्य किया जा रहा है। आवंटित भूमि का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम किस्त जिसकी कुल राशि 22151/– (बाईस हजार एक सौ इकावन) रु0 बैंक ड्राफ्ट नं0– 000286 दिनांक 21.05.13 द्वारा जमा करने का अनुरोध किया गया है। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 374/डी0 दिनांक 10.04.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पत्रांक 304/डी0 दिनांक 12.02.08 द्वारा इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में डिस्पोजेबल प्लेट एवं ग्लास के उद्योग स्थापना हेतु एन0 एस0 प्लॉट से 5000 वर्गफीट भूमि आवंटित किया गया। बियाडा के पत्रांक 278/डी0 दिनांक 25.05.10, पत्रांक 474/डी0 दिनांक 10.0811, पत्राक 773/डी0 दिनांक 28.09.11 द्वारा नोटिस दिया गया एवं पत्रांक 191/डी0 दिनांक 02.03.13 द्वारा अंतिम नोटिस निर्गत किया गया। बियाडा के पत्रांक 790/डी0 दिनांक 10.06.13 द्वारा इकाई को Exit policy में शामिल होने हेतु पत्र दिया गया । बियाडा के आदेश ज्ञापांक 374/डी0 दिनांक 10.04.2014 द्वारा इकाई द्वारा आवंटित स्थल पर निबंधित उत्पाद का उत्पादन कार्य नहीं किये जाने, इकाई में गैर निबंधित कार्य किये जाने तथा इकाई पर बकाया राशि के भुगतान नहीं करने के आलोक में आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2008 में भू–खण्ड डिस्पोजेबल प्लेट एवं ग्लास के उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था । इकाई द्वारा बकाया राशि भुगतान के लिए भी कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास

नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा भुगतान हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। बियाडा के show cause Notice का भी इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, और न ही Exit policy में शामिल होने के लिए कोई आवेदन दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता आवंटित भूमि पर गैर निबंधित औद्योगिक कार्य करने के लिए कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, जबकि बियाडा द्वारा पत्रांक 1240/डी0 दिनांक 27.08.13 द्वारा अपीलकर्ता को सूचना दी गई, कि बियाडा के निदेशक पर्षद की 46वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सर्विसिंग सेन्टर की परियोजना की अनुमति नहीं दी जायेगी।उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।